

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण-वितरण अधिकारी,
झाँसी तथा गोण्डा।

आवंटन

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010400

संख्या- 1/302/2019-1/06/2019 :

लखनऊ: दिनांक 13 सितम्बर, 2019

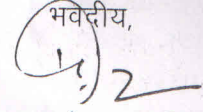
विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-04-मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-13/2019/793/33-3-2019-100(3)/2017 दिनांक 08.04.2019 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अपर मुख्य सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के पत्र सं०-5/2019/वे०आ०-2-245/दस-2019-04(एम)/2016 दिनांक 03.06.2019 के अन्तर्गत मण्डल पंचायत प्रशासन के मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका में रु०-16,28,045/- (रुपया सोलह लाख अट्ठाईस हजार पैतालिस मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपर्टी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं० -1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-04-मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
9. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
10. बी०एम०-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
11. यदि बी०एम०-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।

12. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
 13. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
 14. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
 15. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे—
 1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 2. वर्ष 2019-20 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सूचना दिनांक 20.02.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-10 पर अंकित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/302/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-13/09/2019

प्रेषण संख्या:- 1-302-2019-1-06-2019
आवंटन आदेश संख्या:- 005-01-06-2019
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	659150 1151600	185688 244782	0 30039	844838 1426421
2	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	678909 1186000	81470 142320	22828 53760	783207 1382080
	योग	वर्तमान प्रगामी	1338059 2337600	267158 387102	22828 83799	1628045 2808501

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सोलह लाख अठाईस हजार पैतालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठाईस लाख आठ हजार पाँच सौ एक

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी